



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227302
CG-DL-E-01062021-227302

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1965]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943

No. 1965]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

का.आ. 2118(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रामपुर के मौजूदा बाईपास का फोर लेनिंग (8.5 किलोमीटर) के किमी. किमी. 0 से 8.5 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में रामपुर के मौजूदा बाईपास का फोर लेनिंग (8.5 किलोमीटर) तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर (सदर)	1 दुर्ग नगला

		be Assigned के कि.मी. 0 से 8.5 तक			
--	--	--	--	--	--

[फा. सं. 11015/2/2021/PIU-MBD]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2021

S.O. 2118(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 8.5 of the 4- Laning of existing bypass of Rampur (8.5 Km.) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway the 4- Laning of existing bypass of Rampur (8.5 Km.) in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	ADM (F/R)	0KM To 8.5KM	UTTAR PRADESH	RAMPUR	Rampur (Sadar)	1 Durgnagala

[F. No. 11015/2/2021/PIU-MBD]

RAJESH GUPTA, Director